महत्वपूर्ण/फैक्स

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ ।

पत्र सं0:डीजी-चार-120(03)2014 दिनांक:लखनऊ:अगस्त 29, 2016

सेवा में,

1- **समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।**

2- **समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।**

3- **समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उ0प्र0 ।**

वर्तमान में थानों पर नियुक्त पुलिस कर्मियों द्वारा प्रतिदिन लम्बी व अनियमित अवधि की डियूटियां सम्पादित की जा रही है । इस कारण पुलिस कर्मी प्राय: शारीरिक व मानसिक तनाव में रहते है जिसका सीधा प्रभाव उनके स्वास्थ्य, पुलिस कार्यो की गुणवत्ता एवं जनता के साथ व्यवहार में परिलक्षित होता है । पुलिस कर्मियों को निश्चित अवधि के उपरान्त 01 दिवस रेस्ट (ऑफ डियूटी) दिये जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि पुलिस कर्मियों को शारीरिक एवं मानसिक आराम मिल सके तथा वे अपने अन्य कार्यो का भी निर्वहन कर सकें । **अत: पुलिस कर्मियों को लगातार डियूटी के उपरान्त प्रत्येक 10वें दिवस पर 01 दिन का रेस्ट (ऑफ डियूटी) प्रदान किया जाएगा** । इसे लागू किये जाने के संबन्ध में निम्न निर्देश जारी किए जा रहे है :-

(1) यह "ऑफ डियूटी" थानों, चौकियों व ट्रैफिक डियूटियों में तैनात पुलिस के समस्त अराजपत्रित कर्मियों को प्रदान की जाएगी । यह पुलिस कर्मियों को शारीरिक एवं मानसिक आराम दिए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत दिया जा रहा है एवं यह किसी अधिकार के रूप में देय नहीं है । **इस अवधि के दौरान कर्मी अपने नियुक्ति जनपद से बाहर नहीं जाएगा एवं किसी गम्भीर आकस्मिकता में उन्हें आवश्यकतानुसार तत्काल डियूटी हेतु बुलाए जाने पर उपस्थित होना होगा** । इसके अतिरिक्त किसी जनपद या क्षेत्र में विशेष आवश्यकता के दृष्टिगत इसे पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक से विचार-विमर्श कर किसी विशेष दिवस अथवा निश्चित अवधि के लिए स्थगित किया जा सकेगा।

(2) इसे "ऑफ डियूटी" कहा जाएगा एवं पुलिस कर्मियों को लगातार डियूटी के उपरान्त दसवें दिवस पर एक दिवस के लिए प्रदान किया जाएगा । यह आफ डियूटी कार्मिकों को लगातार डियूटी के उपरान्त ही देय होगी, अगर कोई कर्मी अवकाश से वापस आता है तो उसे लगातार डियूटी के उपरान्त 10वें दिवस पर रेस्ट प्रदान किया जायेगा। **रेस्ट/ "ऑफ डियूटी" प्रातः 8 बजे से अगले दिवस प्रातः 8 बजे तक रहेगी।**

(3) यह थाना प्रभारी/ट्रैफिक प्रभारी को छोड़ते हुए थाना/चौकी व ट्रैफिक में शेष तैनात प्रत्येक अराजपत्रित पुलिस कर्मियों पर लागू होगा । थाना प्रभारी/ट्रैफिक प्रभारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक अपने विवेकानुसार निर्णय ले सकते हैं ।

(4) पीएसी के कर्मियों के सम्बन्ध में उनकी डियूटीयों की निर्धारित अवधि अथवा उनकी डियूटी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए अलग से प्रस्ताव अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा जिसपर पुलिस महानिदेशक कार्यालय के स्तर से अलग से निर्णण लिया जाएगा ।

(5) **इस हेतु सभी कर्मियों का रोस्टर बनाया जाएगा एवं उस रोस्टर के अनुसार उन्हें "डियूटी ऑफ" बारी-बारी दिया जाएगा** । कर्मियों के रोस्टर बनाने की जिम्मेदारी थाना प्रभारी/प्रभारी निरीक्षक/ट्रैफिक प्रभारी की रहेगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रोस्टर बनाने में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाए । पर्यवेक्षक अधिकारी/क्षेत्राधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा समय-समय पर इस रोस्टर को चैक किया जाएगा ।

(6) "डियूटी ऑफ" को अवकाश नहीं माना जाएगा और न ही इसे किसी प्रकार के अवकाश (EL/CL/ML) के साथ जोड़ा जाएगा ।

(7) "डियूटी ऑफ" केवल थाना/चौकी एवं ट्रैफिक डियूटी में तैनात कर्मियों को ही दिया जाएगा । **विभिन्न कार्यालयों/शाखाओं/सेल/मदों/पुलिस लाईन/पेशियों आदि में लगे कर्मियों को यह देय नही है** ।

(8) इस व्यवस्था को लागू किये जाने के उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारियों की किसी भी प्रकार के अवकाश **(यथा-CL/EL) पर रवानगी रात्रि 8 बजे की जाए एवं अवकाश से वापसी प्रातः 8 बजे तक अवश्य करा ली जाए। दूरस्थ स्थित थानों के लिए जहाँ पर आवागमन हेतु परिवहन की समस्या है, के लिए अवकाश पर रवानगी व आमद के लिए अधिकतम 02 घंटे का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा ।** इस व्यवस्था का पालन कराने की जिम्मदारी सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी की होगी । यह भी सुनिश्चित किया जाये कि सम्बन्धित कर्मी के हस्ताक्षर से उसकी रवानगी एवं आमद रोजनामचा-आम में दर्ज करायी जाये । इससे पूर्व प्रस्थान करने पर अथवा इसके उपरान्त वापसी करने पर नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा ।

(9) **यह व्यवस्था दिनांक 01.09.2016 से लागू की जाएगी ।**

29.8.16.

(जावीद अहमद)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।